...अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमंडल,सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 34–82/2012

रीमा कुमार सिंह –– अपीलार्थी

बनाम

राज्य –– रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांक 07.11.2012 ई० के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष आंगनबाड़ी चयनमुक्ति अपील वाद संख्याः 34/12 दायर किया गया था जो आयुक्त कोशी प्रमडल, सहरसा के आदेश ज्ञापांकः 494/क दिनांकः 02.08.2013 के आलोक में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय से स्थानांतरित होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

संक्षेप में मामला यह है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) द्वारा माह–जुलाई, 2012 का जॉच प्रतिवेदन (One Pager Report) के क्रमांक–08 नयानगर पंचायत ग्राम पूरब गोढ़ियारी टोला नयानगर के केन्द्र संख्याः 45 में जॉच की संक्षिप्त विवरणी/दण्डनीय आरोप में अंकित "केन्द्र बंद, सेविका अनुपस्थित, ग्रामीणों के सूचना देने पर सहायिका उपस्थित, उसके अनुसार उसने 36 बच्चों को पोषाहार खिलाकर 11:00 बजे केन्द्र बन्द कर दिया। केन्द्र पर पोषाहार खिलाने का अवशेष मिला" की स्थिति में चयनमुक्ति का अनुशंसा के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के आदेश दिनांकः 07.11.2012 द्वारा सेविका सहायिका को चयनमुक्त करने संबंधी आदेश संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के न्यायालय में आंगनबाड़ी चयनमुक्ति अपील वाद संख्याः 34/12 दायर किया गया जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी का चयन सेविका पद पर मधेपुरा जिला के प्रखंड परियोजना, उदाकिशुनगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत– नयानगर के आंगनबाड़ी केन्द्र–नयानगर

केन्द्र गोढ़ियारी टोला के केन्द्र संख्याः 45 हेतु वर्षः 2004 में विधिवत रूप से किया गया व प्रशिक्षणोंपरांत योगदान देकर केन्द्र का संचालन सही वो सुचारू रूप से विभागीय दिशानिदेश का अक्षरशः पालन करते हुए अपीलार्थी पूर्ण कर्त्तव्य निष्ठा से करती चली आ रही थी। अपीलार्थी के विरूद्ध केन्द्र के संचालन के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत पोषक क्षेत्र के लाभुकों द्वारा और न ही किसी विभागीय पदाधिकारी द्वारा किया गया। दिनांक 10.07.2012 को अन्य दिनों की भाँति अपीलार्थी ससमय सुबह केन्द्र पर गई तथा 36 बच्चों को नास्ता में बिस्कुट वगैरह देकर स्कूल पूर्व शिक्षा दे रही थी, उसी दरम्यान अपीलार्थी करीब 09.35 बजे शौच के लिए गई थी जहाँ फिसल कर गिर गई जिससे अपीलार्थी को घुटना, कमर एवं सर में चोट लग गई जिससे काफी दर्द होने लगा उसके बाद ग्रामीण डॉक्टर से दवा करवाकर 10.15 बजे सहायिका को रसिया बनाने का निदेश देकर रजिस्टर एवं उपस्थिति पंजी केन्द्र पर छोड़कर ग्रामीणों के सहयोग से अपने घर वापस आयी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता चिकित्सा प्रमाण पत्र अपील आवेदन के साथ अपीलार्थी द्वारा समर्पित किया गया है बतलाते है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि केन्द्र का संचालन किया गया व केन्द्र पर उपस्थित सभी 36 बच्चों को पोषाहार में रसियाव बनाकर खिलाया गया जिसका प्रमाण निरीक्षण के दौरान निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा केन्द्र पर पोषाहार खिलाने का अवशेष पाया गया। वर्णित स्थिति में निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा यह कहना सरासर गलत हैं कि निरीक्षण की तिथि को केन्द्र बंद था। निम्न न्यायालय में विज्ञ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कार्यालय ज्ञापांकः 1027 दिनांकः 21.09.2012 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग किए जाने के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उक्त तिथि को अपीलार्थी के साथ घटित घटना का ब्यौरा देते हुए केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं किये जाने की बात कही गई एवं स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया परंतु अपीलार्थी के स्पष्टीकरण पर कोई विचार किए बिना उन्हें चयनमुक्त कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा गैर तथ्यात्मक विवेचना किए हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा केन्द्र के संचालन में किस प्रकार की अनियममितताएँ की गई है इसलिए चयनमुक्ति का आदेश बिल्कुल गलत है वो खारिज के काबिल है बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार में अपील दाखिल किए जाने पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा विज्ञ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। उक्त आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांकः 227–2 दिनांकः 11.04.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्र का संचालन सुचारू रूप से किया गया महज अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण अपीलार्थी ईलाज वास्ते चली गई थी। जिसके कारण केन्द्र का संचालन प्रभावित हुआ। सेविका को कड़ी चेतावनी के साथ केन्द्र संचालन का मौका दिये जाने की अनुशंसा की गई।

दूसरी ओर विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा बहस के क्रम में सरकार के पक्ष में बहस करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही बताया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात/साक्ष्य के सुक्ष्म परिशीलन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची की *बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा) के जुलाई'12 की जाँच विवरणी* **(One Pager Report)** */स्पष्टीकरण एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन (मंतब्य) में भी उक्त केन्द्र के जाँच की तिथि अंकित नहीं है जो आरोप के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य*

है। वार्ड संख्या 5 आंगनबाडी केन्द्र संख्या 45 के लाभार्थी/पंचायत समिति सदस्य नयानगर के लिखित बयान /सेविका के स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त केन्द्र की जॉच की तिथि 10.07.12 है व उक्त तिथि को आरोपी अपीलार्थी रीमा कुमारी सिंह केन्द्र से जानबूझकर अनुपस्थित नहीं थी, बल्कि अचानक तबियत खराब हो जाने के कारण ही केन्द्र पर जॉच के समय अनुपस्थित पायी गयी। अस्तु अपील वाद स्वीकृत। संबंधित वाद में निम्न न्यायालय द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश दिनांकः 07.11.2012 को निरस्त किया जाता है इसी के साथ अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।

13/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

13/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमंडल, सहरसा